–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 90 / 2021

उनवान

रामराज पुत्र मादू जाति जाट निवासी गाम नान्दला, नसीराबाद
–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

वनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला–अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं धारा 136 भू. राज. अधि. 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– [illegible] 28.9.22

वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि नान्दला में स्थित निम्न आराजी वादी की खातेदारी / काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	किता / खसरा नम्बर	रकबा
56 / 51	किता 2	0.10
809 / 698	किता 5	0.71
811 / 700	3784	0.18
935 / 808	किता 6	1.73
612 / 518	3668	0.02

उपरोक्त आराजी के मूल खातेदार रामराज पुत्र मादू थे जो कि वादी है। वादी को गांव में बोलचाल की भाषा में रामलाल के नाम से जानते है। जबकि वादी का वास्तविक नाम रामराज पुत्र मादू है। राजस्व रेकार्ड में त्रुटिपूर्ण तरीके से रामराज पुत्र मादू के स्थान पर रामलाल पुत्र मादू अंकित कर दिया है उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण वादी को किसी सरकारी योजना का लाभ नही मिल पा रहा है। अतः आराजी मुतनाजा वपर वादी का नाम दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गश्या। प्रतिवादी स. 1 राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण में जवाब पेश नही होने कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मन किया गया। वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम रामलाल पुत्र मादू अंकित है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड बिजली बिल व जॉब कार्ड में वादी का नाम रामराज पुत्र मादू अंकित है। वादी को बोलचाल [illegible] से जाना जाता है अतः राजस्व अभिलेख में वादी का नाम रामलाल अंकित कर दिया [illegible] भियान कैम्प नान्दला में दिनाक 01.12.21 को तहसीलदार नसीराबाद व राज[illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी के पिता की विरासत [illegible] करते समय [illegible] त्रुटी हुयी है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र के [illegible] मे नही है। प्रा[illegible] नाम की दुरूस्ती से किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नही होते है। प्र[illegible] इन्द्राज दुरूस्ती का अधि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:43:25 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

ऐसी स्थिति में ग्राम नान्दला के खाता संख्या 56/51 किता 2 रकबा 0.10, 809/698 किता 5 रकबा 0.71, 935/808 किता 6 रकबा 1.73 व खसरा नम्बर 3784 रकबा 0.18 व 3668 रकबा .02 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है उक्त आराजी पर वादी का नाम रामलाल पुत्र मादू के स्थान पर रामराज पुत्र मादू अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:43:25 IST
Reason: SelfAttested